LOK SABHA

Saturday, May 1, 1965/Vaisakha 11, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

PAPERS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker: The Finance Minister may lay the papers that he wanted to lay on the Table.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है ।

श्री मधु लिमये : मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं । आप ने जो अनुमति नहीं दी है, मैं उसके सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है और अब उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

श्री मधु लिमये : मेरी बात सुन लेने के बाद ही आपको पता लगेगा कि व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

श्री मधु लिमये : वह कब आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता कि कब आयेगा ?

श्री मधु लिमये : आप मुझे बाद में समय दीजिए । क्या वह सोमवार को आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप रुकावट नडालें ।

श्री मधु लिमये : आप मेरी बात तो नहीं सुनते हैं और मुझ पर रुकावट का आरोप लगाते हैं । मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव का लिखित नोटिस दिया है । उसको आपने नामंजूर किया है । अब मैंने कहा है कि मैं उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी अजीब बात है कि एक नोटिस दिया जाता है और में उसको नामंजूर करता हूं, तो उस पर पवायंट आफ आर्डर रेज़ होता है । क्या यह भी किसी पार्लियामेंट में हुआ है या किसी जगह इसका अधिकार है ? मैंने उसको नामंजूर किया है । अब आप रुकावट न डालें और काम चलने दें ।

श्री मधु लिमये : आप मुझे बाद मैं इजाजत दीजिए । उसको सोमवार को लीजिए ।

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A statement regarding the imposition of Additional duty of excise on "Petroleum products, not otherwise specified" under the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs), Act, 1958. [*Placed in Library. See* No. LT-4321/65].

[Shri T. T. Krishnamachari]

(2) The following Notifications under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944:—

(i) No. 69/65-F. No. 11/2/65-CX. I dated the 1st May, 1965, levying additional excise duty on certain petroleum products under the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs Act, 1958.

(ii) No. 70/65-F. No. 11/2/65-CX. I dated the 1st May, 1965, exempting certain petroleum products from additional levy of excise duty under the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958.

(iii) No. 72/65-F. No. 15/24/65-CX. I dated the 1st May, 1965, making certain change in cise duty leviable on "tin plates" and "tinned sheets".

(iv) No. 71/55-F. No. 16/3/64-CX. III, dated the 1st May, 1965, making certain changes in excise duty leviable on cotton fabrics manufactured on powerlooms run by cooperative societies.

(v) No. 74/65-F. No. 2/2/65-CX. II dated the 1st May, 1965, making certain changes in the duty leviable on copper and copper alloys.

[*Placed in Library. See* No. LT-4321/65].

अध्यक्ष महोदय : कल डा० राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि उन्होंने एक नोटिस दिया हुआ था, लेकिन उनका नाम शामिल नहीं किया गया था । वह इस वक्त हाउस में नहीं हैं । मैंने सब रिकार्डज देखे हैं और उनका इस सेशन में कोई नोटिस नहीं आया हुआ है । अगर उनके पास कोई सबूत हैं, तो वह मेहरबानी करके मुझे भेज दें ।

11.03 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS*—*contd.*

MINISTRY OF STEEL AND MINES

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 86 to 88 and 140 relating to the Ministry of Steel and Mines for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating which of the cut motions they would like to move.

DEMAND No. 86—MINISTRY OF STEEL AND MINES

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 45,30,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Ministry of Steel and Mines'.".

DEMAND No. 87—GEOLOGICAL SURVEY

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 3,22,79,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Geological Survey'.".

DEMAND No. 88—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 17,41,22,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges

*Moved with the recommendation of the President.